कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2020—2021

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आउटसोर्स के माध्यम से अस्पताल सूचना प्रबंधन की व्यवस्था (Hospital Information Management) एवं मेडिकल रिकार्ड के रखरखाव हेतु

ई—निविदा फार्म
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 5000/—
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक—27/2020—21

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क 27/2020–21

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	25-07-2020 11.00 AM	14-08-2020 5.00 PM	
2	PRE BID MEETING INCLUDING PRESENTATION BY PROSPECTIVE BIDDERS	31-07-2019 11.00 AM	Venue- Dr. DNS Chaudhary Hall, Ground Floor, S.S. Medical College, Rewa (M.P.)	
3	BID SUBMISSION ONLINE	25-07-2020 11.00 AM	14-08-2020 5.00 PM	
4	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	25-07-2020 11.00 AM	17-08-2020 5.00 PM	
5	MANDATORY SUBMISSION OPEN	18-08-2020 12.30 PM onwards	–	
6	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	18-08-2020 12.30 PM onwards	–	
7	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	–	

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104,+91–9179705483,+91–9644695933,+91–8827730393,

निविदाकार जो ऑनलाईन दस्तावेज पोर्टल में अपलोड करें उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी भी दिनांक 17.08.2020 सायंकाल 5.00 बजे तक कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय में जमा कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क :–

1. डॉ. मनोज सक्सेना – 9826768805
2. डॉ. जितेन्द्र नाथ चतुर्वेदी – 9827298482

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–

1. धरोहर राशि रूपये 30,000/– (तीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) सभी पृष्ठ।
3. फर्म की स्थापना/संस्था का रजिस्ट्रेशन।
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में वार्षिक टर्न ओवर रू. 20.00 लाख से कम नहीं होना चाहिये)
6. पैन कार्ड।
7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
8. ई.पी.एफ. पंजीयन।
9. ई.एस.आई.सी. पंजीयन।
10. 500 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र।
11. चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/300 या अधिक बिस्तर के निजी चिकित्सालय में अस्पताल प्रबंधन एवं मेडिकल रिकार्ड ICD 10 code of disease के प्रणाली के साथ रख–रखाव इत्यादि का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।
12. एच.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर मॉड्यूलस का कैटलॉग

–:: निविदा प्रपत्र ::–

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा म.प्र. शासन अन्तर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसके अन्तर्गत संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संचालित है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय में आंतरिक मरीजों हेतु 1141 बेड हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 223 बेड हैं। विभिन्न विभागों में बाह्य एवं आंतरिक रोगियों की संख्या लगभग क्रमशः 6.50 लाख एवं 75 हजार प्रतिवर्ष होती है। लगभग 7.5 लाख क्लीनिकल/डायग्नोस्टिक वार्षिक पंजीयन भी किये जाते हैं। आंतरिक रोगियों के चिकित्सालय से डिस्चार्ज/रेफर/मृत्यु होने पर उनके मेडिकल रिकार्ड व्यवस्थित रूप से केन्द्रीय मेडिकल रिकार्ड डिपार्टमेंट (एम.आर.डी.) में संधारित किये जाते हैं।

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु अस्पताल सूचना प्रबंधन की व्यवस्था एवं मेडिकल रिकार्ड के रखरखाव इत्यादि कार्यों को आउटसोर्स के माध्यम से संचालित करने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।

Details and Technical Specification for above work on outsourcing basis are as follows :-

1- Technical Specification for Software and HMIS modules to be provided under this project -

S. No.	Software Requirement	Specification
I.	Software Database	64 Bit SQL Server or Oracle or MySQL
II.	Software and Database security	The software and database must be secured by encrypted username and password to maintain the security and have the automatic backup facility.
III.	User specified rights and permission	The software must have user based rights and permission to use / edit / read / right / update any specified module / modules of the software.
IV.	Network IP based	Software and Database must be network enabled, so the same database and software work on the entire network simultaneously and the information collected in database synchronized instantly.
V.	HIMS Modules	Software must have the following modules :– 1- Out Patient Management including patient registration, Investigation registration and revisit 2- In patient management including admission, discharge, transfer, referral & death 3- Medical Record Managment 4- Laboratory information system including lab reporting 5- Blood Bank Management 6- Radiology information system including reporting 7- Pharmacy Management 8- Equipment Management 9- HR Management 10- Services billing/entry 11- Dashboard 12- HMIS report modules 13- Postmortem Module

		14- Gate Pass Module 15- Any other module as assessed by bidder Modules mentioned in the specification must be in full functional working condition from the 1st day of starting the work and intergrated with each other wherever possible. HMIS can run on approx. 100 computer (node at a time) It should be easlily operated at Dean & MS chember. Data should be kept for discharged/Medico Legal Cases for indefinite period.

2- Details of work :-

S. No.	Location	No. of Counters	Timing	Service to be provided
I.	OPD Registration Counter :- i) SGMH Gr. Floor – 07 ii) SGMH 1st Floor – 02 iii) GMH Gr. Floor – 01	10	08:30 am–12:30 pm (09 Counter) 24 Hrs. (01 Counter)	All hardware with licensed genuine software if applicable, Networking and quilfied manpower with backup maintenance services
II.	Pharmacy Counter :- i) SGMH Gr. Floor – 04 ii) Emergency Dept. – 01	05	08:30 am–02:30 pm (04 Counter) 24 Hrs. (01 Counter)	-do-
III.	Medical Record Dept.	03	10:30am – 05:30 pm	All hardware with licensed genuine software if applicable, Networking and quilfied manpower for Data entry and 01 HR for record keeping with backup maintenance services
IV.	IPD Registration & Emergency counter at Emergency Dept.	03	24 Hrs.	All hardware with licensed genuine software if applicable, Networking and quilfied manpower with backup maintenance services
V.	Investigation :-			-do-
	i) Pathology	06	08:00 am – 08:00 pm (3 Counter) 02:00pm – 08:00 pm (3 Counter)	
	ii) Blood Bank	02	24 Hrs.	
	iii) Radiology	01	08:30 am – 01:00 pm	

Note :-

1. 07 Computers/Counters will run 24 Hrs. daily .
2. As per requirment the no. of computers/counter may be increased. Please quote separate amount for each computer/counter (including all expenses).

3- Supply of all type of stationary and consumables as per consumption :-

Sr. No.	Particular	Preferred stationary
I.	Type of Paper for OPD registration	A4 size (75 GSM)
II.	Type of Paper for IPD registration/All Other receipt	A5 size (75 GSM)
III.	Type of Paper for All Laboratory reports	A5 size (75 GSM)
IV.	All types of consumables	All type Laser/Thermal printer toner cartridge
V.	Monthly Report required by account section	A4 size (75 GSM)
VI.	Any Other Report required by RTI/Govt./College/Department	A4 size (75 GSM)
VII.	MRD Flag printing	A4 size (75 GSM)

4-All type of Network :-

Particular	Specification & service to be provided
Local Area Network cabling	Cat6(D-link), Cable RJ45(D-link) connector, switch (D-link gigabyte) with electric wiring. Installation, Maintenance as per need basis

नियम एवं शर्ते :–

1. ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 30,000/– **(तीस हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृत होने पर कुल वार्षिक निविदा राशि का 5 प्रतिशत अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुबंध करते समय सफल निविदाकार को देना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट "CEO & DEAN, SS Medical College, Rewa" के नाम से देय होगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
3. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी। प्राईस बिड भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
4. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर अपलोड करना होगा।
5. अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत निविदा समिति को निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निविदा/निविदाओं को अमान्य करने का अधिकार होगा।
6. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
7. निविदा प्रथमतः तीन वर्ष अथवा आगामी नवीन निविदा होने तक अथवा म.प्र. शासन द्वारा जारी राज्य स्तरीय रेट कान्ट्रेक्ट के प्रभावशील होने, जो भी पहले लागू हो तक प्रभावी रहेगी।

8. निविदा अंतर्गत कार्य में वर्णित कार्य के संपादन हेतु चाही गई मासिक राशि में हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कन्ज़्यूमेबल, मैनपॉवर, आयकर, कर्मचारियों के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई.सी. वर्तमान दर सहित शामिल होंगी। जी.एस.टी. प्रचलित दर पर अतिरिक्त शामिल होगी।
9. समस्त निविदाकार संस्थान की कार्यप्रणाली व कार्य को विस्तृत रूप से समझने के लिये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा की अनुमति उपरान्त संस्था के चिकित्सालयों का भ्रमण कर वर्तमान में संचालित व्यवस्था के अनुसार ही आगामी कार्य का आंकलन करने के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें।
10. सफल निविदाकार नये हार्ड वेयर स्थापित करेगा, पुराने एवं second hand/refurbished हार्डवेयर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
11. एच.आई.एम.एस. सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स पर संबंधित फर्म का कॉपीराइट हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मान्य नहीं होंगे।
12. एच.आई.एम.एस. साफ्टवेयर मॉड्यूल्स संस्था/म.प्र. शासन की आवश्यकता अनुसार पूर्णतः Customize/Modifiable होना चाहिए।
13. निविदा अन्तर्गत कार्य में वर्णित कार्य 01 से 04 तक सफल एल–1 निविदाकार को निविदा शर्त कण्डिका 14 में उल्लेखित कार्यों को प्राप्त न्यूनतम दर में सम्पादित करने हेतु सहमति देना अनिवार्य होगा।
14. भविष्य में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों का समावेश किया जाना प्रस्तावित है :–
    - 14.1 ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा।
    - 14.2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हेतु 04 काउन्टर [09:00 am–02:00 pm (03 Counter) 24 Hrs. (01 Counter)] हार्डवेयर, नेटवर्किंग, कन्ज्युमेबल, स्टेशनरी एवं मानव संसाधन सहित)।
    - 14.3 संजय गांधी स्मृति एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय के 26 वार्डों में रियल टाइम डाटा हेतु पूर्व से उपलब्ध 26 कम्प्यूटर, नवीन नेटवर्किंग एवं मेन्टीनेन्स सहित (Without Manpower) स्थापित किये जाना है।
    - 14.4 निविदा में वर्णित कार्य 01 से 04 में उपयोग होने वाले अतिरिक्त काउंटर।

      प्रति अतिरिक्त काउन्टर(समस्त व्यय सहित) हेतु राशि का पृथक–पृथक उल्लेख करें।
15. सफल निविदाकार को ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक, ब्लड इश्यू एवं ब्लड रिसीव की रियल टाइम जानकारी, चिकित्सालय द्वारा निर्धारित 03 अलग–अलग स्थानों पर डिस्प्ले करने की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह स्वयं एवं निविदा से संबंधित समस्त जानकारी तथा जनसुविधा हेतु सूचना पटल इत्यादि की जानकारी भी चस्पा करनी होगी।
16. सेन्ट्रल पैथालॉजी लैब एवं ब्लड बैंक से संबंधित समस्त जानकारी प्रतिमाह प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।
17. कार्यों का संचालन, उपकरणों का रखरखाव एवं पावर बैकअप इत्यादि की समस्त सुविधायें निविदाकार की जिम्मेदारी होगी तथा सिस्टम में खराबी अथवा अन्य तकनीकी रूकावटों को तत्काल सुधारना होगा, जिसके लिये कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
18. चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर की स्थापना हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की लिखित स्वीकृति बैगर नहीं लगाया जावेगा।
19. सफल निविदाकार को योग्य, सक्षम एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करना होगा एवं नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देना होगा। बैकअप मानव संशाधन की व्यवस्था निविदाकार की होगी जिससे समस्त कार्य बिना रूकावट के संचालित हों।
20. निविदाकार द्वारा निविदा में वर्णित समस्त कार्यो का संचालन स्वयं करना होगा, किसी भी दशा में कार्य को किसी अन्य एजेंसी को देना, कार्य को पेटी निविदा पर देना या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को निविदा में शामिल करना, स्वीकार नहीं किया जायेगा।

21. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना/मृत्यु होने पर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा कोई अनुकम्पा/क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।
22. निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को कर्त्तव्यस्थल पर निर्धारित यूनिफार्म एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र स्वयं की व्यवस्था से प्रदान करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकार द्वारा कार्य हेतु नियुक्त अपने कर्मचारियों की फोटोयुक्त सूची, योग्यता प्रमाण–पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा स्टॉफ परिवर्तन करने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा को लिखित रूप से देनी होगी।
24. सफल निविदाकार द्वारा उक्त कार्यों हेतु नियोजित मानव संसाधन/उपकरण की समस्त जवाबदेही निविदाकार की होगी।
25. निविदाकार के द्वारा नियोजित कर्मचारियों के द्वारा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टि कार्य किये जाने व उन पर सक्षम नियंत्रण चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की होगी।
26. निविदा अवधि समाप्त होने पर निविदाकार द्वारा चिकित्सालय मे स्थापित कराये गये उपकरणों, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (with Database) को चिकित्सालय प्रबंधन को चालू हालत मे सौंपना होगा।
27. इस संस्था अन्तर्गत कार्यरत अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को संचालन एवं साफ्टवेयर की ऑनसाइट ट्रेनिंग प्रदाय करना होगा।
28. निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
29. निविदाकार को म.प्र. में प्रचलित सभी श्रम कानून का पालन करते हुए ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. इत्यादि की नियमानुसार कटोत्री एवं जमा करने का दायित्व होगा।
30. सफल निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से करना अनिवार्य होगा जिसकी जानकारी प्रतिमाह संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को उपलब्ध कराना होगा।
31. सफल निविदाकार को आन्तरिक साज–सज्जा इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिये अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
32. निविदाकार/निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा मरीजों एवं चिकित्सालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होगा।
33. मरीजों अथवा मरीजों के सगे–संबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद–विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं राज्य शासन के नियमों का पालन करना होगा।
34. समस्त निविदाकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर संबंधी विस्तृत जानकारी का सत्यापन अपने प्रस्तुतीकरण (Presentation) में निर्धारित तिथि एवं समय पर करना होगा। दस्तावेजों के परीक्षण एवं प्रस्तुतीकरण उपरान्त अधिकृत समिति द्वारा प्राईज बिड खोली जावेगी।
35. निविदाकार को, चिकित्सालयों के पिछले 4 वर्ष के मरीजों के एस.क्यू.एल. डेटाबेस रिकार्ड को अपने नवीन डाटाबेस में इस प्रकार मर्ज करना होगा कि पिछले व नये डाटाबेस रिकार्ड से आवश्यकतानुसार सामेकित रिपोर्टस निर्धारित प्रारूप में तैयार की जा सकें। इसका प्रदर्शन (Demonstration) अपने प्रस्तुतीकरण (Presentation) में करना होगा। इसके लिए एस.क्यू.एल. डेटाबेस प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा जिसे प्रेजेंटेशन के बाद तुरंत प्रबंधन के प्रतिनिधि के समक्ष ही डिलीट किया जावेगा।
36. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न हो या सेवा कार्य नियमानुसार नहीं करने या निविदा में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उसकी निविदा समय सीमा के पूर्व समाप्त की गई हो। इस हेतु सम्यक रूप से नोटराईजड शपथ पत्र देना होगा।
37. एम.सी.आई. के मापदण्डानुसार नए व पुराने मरीजों का पंजीयन पृथक–पृथक विभागवार करना अनिवार्य होगा।
38. सफल निविदाकार को प्रतिदिन एकत्र होने वाली राशि संभवतः उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से स्वशासी बैंक खाते में जमा कराते हुए पावती सहित सम्पूर्ण विवरण के साथ लेखा

शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में प्रस्तुत करना होगा। 01 कार्य दिवस से अधिक विलम्ब होने की दशा में प्रस्तुत मासिक देयक से रू. 500 प्रति विलम्ब दिवस के आधार पर कटौत्री की जावेगी। एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोरी, गबन इत्यादि पर राशि की भरपाई संबंधित निविदाकार द्वारा की जावेगी।

39. सफल निविदाकार द्वारा उक्त कार्य के तकनीकी सहयोग/सुपरविजन हेतु स्वयं 24 X 7 उपलब्ध रहना होगा अथवा अधिकृत व्यक्ति को 24 X 7 उपलब्ध कराना होगा।
40. उक्त शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अमानत राशि से नियमानुसार कटौत्री/वैधानिक कार्यवाही संस्था द्वारा अधिरोपित की जावेगी।
41. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संस्था के साथ विस्तृत नियम एवं शर्तों के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति अपनी आवश्यकतानुसार करार पत्र में कोई अतिरिक्त कंडिका का आपसी सामंजस्य से समावेश किया जा सकेगा।
42. अनुबंधित निविदाकार के मासिक देयक का भुगतान अपरिहार्य कारणों को छोड़कर देयक प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर किया जावेगा।
43. सफल निविदाकार द्वारा करार मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुए जमा सुरक्षा निधि को दण्ड स्वरूप राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को होगा।
44. निविदाकार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारियों के द्वारा यदि मरीजों से बगैर रसीद किसी भी प्रकार का भुगतान लिया जाता है तो आर्थिक दण्ड लगाते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
45. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की लिखित स्वीकृति बैगर निविदाकार केन्द्रीय पंजीयन कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर नही लगा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय आवंटित परिसर का निरीक्षण कर सकेगें एवं अव्यवस्था पाये जाने पर दण्ड/शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
46. निविदाकार का यह कर्तव्य होगा की मरीजों अथवा मरीजों के सगे–संबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद–विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं प्रदेश शासन के नियमों का पालन करना होगा।
47. सफल निविदाकार को अपने स्टाफ की नियुक्ति एवं उनके बदलाव/परिवर्तन का अधिकार होगा। निविदाकार को कार्य पर लगे स्टाफ की सूची एवं परिवर्तन करने की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच. रीवा को लिखित रूप से देनी होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्टाफ पर नियत्रंण एवं निर्धारण का अधिकार नहीं होगा।
48. एम.एल.सी. प्रकरणों की सम्पूर्ण सूची प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाना होगा एवं एम.एल.सी मृत्यु फाइल हमेशा के लिये डेटाबेस में स्टोर करके रखना होगा।
49. निविदाकार द्वारा सभी सर्वर, कम्प्यूटर, प्रिंटर व अन्य उपकरण स्वयं के व्यय पर स्थापित किये जावेंगे एवं उनकी सुरक्षा सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
50. निविदाकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाना होगी। प्रबंधन के अलावा किसी ओर व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दी जायेगी, यदि ऐसा करना पाया गया तो दण्ड/शास्ति अधिरोपित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मेडिकल रिपोर्ट गोपनीय जानकारी है जिसे चिकित्सालय/महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध नहीं करायेंगे।
51. निविदाकार द्वारा डिजिटल फार्म में एकत्र किया जाने वाला मरीजों/हितग्राहियों आदि का समस्त डाटाबेस चिकित्सालय की सम्पत्ति होगा, जिसे सेवा प्रदाता अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात चिकित्सालय प्रशासन को ऐसे प्रारूप में सौंपेगा जिससे भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। इस

डाटाबेस की सिक्यूरिटी व बैकअप की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। डेटाबेस चिकित्सालय प्रशासन की संपत्ति होगा।

52. विवादों के निपटारे हेतु संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा – अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अपीलीय अनुक्रम का पालन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।
53. निविदा के तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेज़ो मे पेजिंग कर उनमें फ्लैग लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर व सील होना अनिवार्य है।
54. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः– बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें। पृष्ठ क्र. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	धरोहर राशि रूपये 30,000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।				
3.	फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन।				
4.	वित्तीय वर्ष, 2017–18 एवं 18–19 (एसेसमेंन्ट ईयर 18–19 एवं 19–20) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	500 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र				
6.	पैन कार्ड				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 20.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वर्ष 2018–19)				
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।				
9.	ई.पी.एफ. पंजीयन				
10.	ई.एस.आई.सी. पंजीयन				
11.	निविदाकार के पास अस्पताल सूचना प्रबंधन एवं एम. आर.डी. संबंधी कार्य करने का चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय /300 बिस्तरीय चिकित्सालय में अस्पताल सूचना प्रबंधन एवं एम. आर.डी. से संबंधित समस्त कार्य जिसमें ICD 10 code of disease का भी कार्य सम्मलित है, का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र				
12.	एच.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर मॉड्यूलस का कैटलॉग				

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(500/– रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
8. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई./लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नही है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. केंद्र/राज्य सरकार कोई भी कर मेरी संस्था/मेरे उपर बकाया नही है।
10. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.................................
   पता......................................
2. गवाह का नाम............................
   पता ....

संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम.........
पता..

संस्था का नाम एवं पता...

निविदाकार द्वारा फायनेंसियल बिड केवल ऑनलाइन भरे जाने का प्रारूप

निविदाकार का नाम ——————————

पता ——————————————————

मोबाईल ————————————————

क्र.	निविदा का विवरण	मासिक दर	जी.एस.टी.	कुल
01	''निविदा अंतर्गत कार्य'' में वर्णित कार्य – 01, 02, 03 एवं 04 के संपादन हेतु चाही गई **मासिक राशि** (कर्मचारियों के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई.सी. वर्तमान दरों से शामिल)			
02	निविदा के नियम एवं शर्त क्रमांक 14.1 अनुसार चाही गई मासिक राशि			
03	निविदा के नियम एवं शर्त क्रमांक 14.2 अनुसार चाही गई मासिक राशि			
04	निविदा के नियम एवं शर्त क्रमांक 14.3 अनुसार चाही गई मासिक राशि			
05	निविदा के नियम एवं शर्त क्रमांक 14.4 अनुसार चाही गई मासिक राशि (प्रति काउंटर)			

- निविदाकार उपरोक्त दरें केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

...

—:: अनुबंध पत्र :—

प्रथम पक्ष— संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.)
द्वितीय पक्ष— ....

यह अनुबंध दिनांक .... को प्रथम पक्ष संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.) एवं द्वितीय पक्ष .... के मध्य श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में अस्पताल सूचना प्रबंधन एवं मेडिकल रिकार्ड के रखरखाव हेतु आउटसोर्स के माध्यम से संचालित करने हेतु निविदा शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित करता हूं। अनुबंध की वास्तविक अवधि कार्य प्रारम्भ करने के दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा निविदा अवधि बढ़ाये जाने तक अथवा नई निविदा प्रभावी होने तक प्रभावशील रहेगा।

अनुबंध में मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा/संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को प्रथम पक्ष एवं .... को द्वितीय पक्ष पढ़ा जाय।

अनुबंध की शर्ते :—

1. प्रारंभिक तौर पर यह अनुबंध 03 वर्ष के लिये होगा। अवधि पूर्ण होने पर अनुबंध अवधि में विस्तार किया जा सकेगा जिसका सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
2. अनुबंध हस्ताक्षर होने के 30 दिवस के भीतर द्वितीय पक्ष को निविदा में वर्णित कार्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
3. द्वितीय पक्ष को निविदा अनुसार नये हार्ड वेयर स्थापित करने होगे, पुराने एवं second hand/refurbished हार्डवेयर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जावेगा एवं अपने स्वामित्व वाले एच. आई.एम.एस. सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा।एच.आई.एम.एस. साफ्टवेयर मॉड्यूल्स संस्था/म.प्र. शासन की आवश्यकता अनुसार पूर्णतः Customize/Modifiable होना चाहिए।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा मे वर्णित कार्यों (1 से 4) हेतु समुचित व्यवस्था करते हुए सभी सर्वर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, नेटवर्किंग एवं अन्य बैकअप उपकरण स्वयं के व्यय पर स्थापित किये जावेंगे एवं उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा में वर्णित समस्त कार्यो का संचालन स्वयं करना होगा, किसी भी दशा में कार्य को किसी अन्य एजेंसी को देना, कार्य को पेटी निविदा पर देना या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को निविदा में शामिल करना स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष वैधानिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा एम.सी.आई. के मापदण्डानुसार नए व पुराने मरीजों का पंजीयन पृथक—पृथक विभागवार करना अनिवार्य होगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी सहयोग/सुपरविजन हेतु स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति को 24 X 7 उपलब्ध कराना होगा, जिससे कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने पर तुरंत निराकरण किया जा सके।
8. समस्त उपकरणों का रखरखाव एवं पावर बैकअप इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा सिस्टम में खराबी अथवा अन्य तकनीकी रूकावटों को तत्काल सुधारना होगा, जिसके लिये कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
9. द्वितीय पक्ष को ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक, ब्लड इश्यू एवं ब्लड रिसीव की रियल टाइम जानकारी, चिकित्सालय द्वारा निर्धारित 03 अलग—अलग स्थानों पर डिस्प्ले करने की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह स्वयं एवं निविदा से संबंधित समस्त जानकारी सूचना पटल पर दर्शाना होगा एवं जनसुविधा हेतु संकेतक/सूचना पटल इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
10. सेन्ट्रल पैथालॉजी लैब एवं ब्लड बैंक से संबंधित समस्त जानकारी प्रतिमाह संबंधित प्रभारी अधिकारी को हार्डकॉपी में उपलब्ध कराना होगा।

11. एम.एल.सी. प्रकरणों की सम्पूर्ण सूची प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी आकस्मिक चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाना होगा एवं एम.एल.सी/मृत्यु फाइल हमेशा के लिये डेटाबेस में स्टोर करके रखना होगा।
12. द्वितीय पक्ष को योग्य, सक्षम एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा एवं नियमित रूप से आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देना होगा। बैकअप मानव संसााधन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष की होगी जिससे समस्त कार्य बिना रूकावट के संचालित हों।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी को कर्त्तव्यस्थल पर निर्धारित यूनिफार्म एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। साथ ही नियुक्त कर्मचारियों की फोटोयुक्त सूची मय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी. एम.एच. रीवा को उपलब्ध करना होगी एवं स्टॉफ परिवर्तन करने की सूचना लिखित रूप से देनी होगी।
14. म.प्र. में प्रचलित सभी श्रम कानून का पालन करते हुए ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. इत्यादि की नियमानुसार कटोत्री एवं जमा करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। मासिक देयक प्रस्तुत करते समय उक्त कटोत्री का विवरण एवं जमा करने की पावती प्रस्तुत करना होगा। कटोत्री एवं जमा करने का भुगतान अपरिहार्य कारणों को छोड़कर देयक प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर किया जावेगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से करना अनिवार्य होगा जिसकी जानकारी प्रतिमाह प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना होगा।
16. द्वितीय पक्ष को अपने स्टाफ की नियुक्ति एवं उनके बदलाव/परिवर्तन का अधिकार होगा। प्रथम पक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्टाफ पर नियंत्रण एवं निर्धारण का अधिकार नहीं होगा।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना/मृत्यु होने पर प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही कोई अनुकम्पा/क्षतिपूर्ति प्रदान की जावेगी।
18. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष/महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाना होगी। प्रबंधन के अलावा किसी ओर व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दी जायेगी, यदि ऐसा करना पाया गया तो दण्ड/शास्ति अधिरोपित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मेडिकल रिपोर्ट गोपनीय जानकारी है जिसे चिकित्सालय/महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध नहीं करायेंगे।
19. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारियों के द्वारा यदि मरीजों से बगैर रसीद किसी भी प्रकार का शुल्क/भुगतान लिया जाता है एवं जांच में दोषी पाया जाता है प्रथम पक्ष आर्थिक दण्ड लगाते हुए कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।
20. प्रथम पक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की लिखित स्वीकृति बैगर निविदाकार केन्द्रीय पंजीयन कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर नही लगा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के समय अव्यवस्था पाये जाने पर दण्ड/शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
21. प्रथम पक्ष द्वारा विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर/काउन्टर की स्थापना हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपकरण संस्था के कैम्पस या आवंटित जगह पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की लिखित स्वीकृति बैगर नहीं लगाया जावेगा।
22. प्रथम पक्ष द्वारा बिजली बिल का भुगतान किया जावेगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित कर्मचारियों के द्वारा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टि कार्य किये जाने व उन पर सक्षम नियंत्रण चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की होगी। साथ ही इस संस्था अन्तर्गत कार्यरत अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को संचालन एवं साफ्टवेयर की ऑनसाइट ट्रेनिंग प्रदाय करना होगा।

24. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों एवं स्वयं के द्वारा मरीजों एवं चिकित्सालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होगा। मरीजों अथवा मरीजों के सगे—संबंधियों के साथ हुये किसी मतभेद/वाद—विवाद हेतु पुलिस/न्यायालय जाने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा या उनके प्रतिनिधि को सूचित करना जरूरी होगा एवं राज्य शासन के नियमों का पालन करना होगा।
25. द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन एकत्र होने वाली राशि संभवतः उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से स्वशासी बैंक खाते में जमा कराते हुए पावती सहित सम्पूर्ण विवरण के साथ लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में प्रस्तुत करना होगा। 01 कार्य दिवस से अधिक विलम्ब होने की दशा में प्रस्तुत मासिक देयक से रू. 500 प्रति विलम्ब दिवस के आधार पर कटौत्री की जावेगी। एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोरी, गबन इत्यादि पर राशि की भरपाई संबंधित निविदाकार द्वारा की जावेगी।
26. निविदा अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा चिकित्सालय मे स्थापित किये गये उपकरणों, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (with Database) को प्रथम पक्ष को चालू हालत मे सौंपना होगा।
27. निविदाकार द्वारा डिजिटल फार्म में एकत्र किया जाने वाला मरीजों/हितग्राहियों आदि का समस्त डाटाबेस चिकित्सालय की सम्पत्ति होगा, जिसे सेवा प्रदाता अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात चिकित्सालय प्रशासन को ऐसे प्रारूप में सौंपेगा जिससे भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। इस डाटाबेस की सिक्यूरिटी व बैकअप की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। डेटाबेस चिकित्सालय प्रशासन की संपत्ति होगा।
28. अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष अपनी आवश्यकता अनुसार अनुबंध में वर्णित कण्डिकाओं के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष की सहमति पर अन्य कण्डिकाओं का समावेश कर सकेगा।
29. विवादों के निपटारे हेतु संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा – अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अपीलीय अनुक्रम का पालन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।
30. द्वितीय पक्ष को अनुबंध/निविदा में उल्लेखित सभी कार्यों के लिये रू. ....प्रति माह एवं रू. .... टैक्स, कुल रू. .... प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त अनुबंध अवधि में कोई भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। शासन द्वारा टैक्स दरों में परिवर्तन होने के कारण प्रचलित कर प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।
31. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अतिरिक्त काउंटर लगाये जाने हेतु आदेशित करने पर निविदा के वित्तीय प्रपत्र में दर्शित राशि की स्वीकृति अनुसार प्रति काउंटर रू. .... अतिरिक्त देय होगी।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही सिद्ध होने की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा पहली बार त्रुटि होने पर रू. 5,000/– एवं उत्तरवर्त्ती त्रुटियों पर रू. 10,000/– तक की शास्ति अधिरोपित की जावेगी, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा एवं इसकी कटौत्री द्वितीय पक्ष के मासिक देयक से की जावेगी।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध/निविदा की शर्तों के उल्लंघन करने की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि से नियमानुसार कटौत्री/वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा जिसमें अनुबंध समाप्त करते हुए जमा सुरक्षा निधि को दण्ड स्वरूप राजसात किया जाना सम्मिलित है।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा जमा अमानत राशि कटौत्री उपरान्त (यदि लागू) बिना ब्याज के अनुबंध समाप्ति के उपरान्त वापस की जावेगी, ब्याज देय नहीं होगा।
35. निविदा/अनुबंध के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)